



# मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

पत्रांक 5303/GHIA/B.Ed./G.M.A./558/14

दिनांक 20/9/14

सेवा में,  
निदेशक,  
(शोध एवं प्रशिक्षण)  
प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन शिक्षा विभाग,  
नया सचिवालय, पटना - 800001

**विषय:- एक वर्षीय बी.एड पाठ्यक्रम का नव संबंधन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक ERC/7-159.2(ii)1.2./2013/20193, दिनांक 14.08.2013, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा (सी) 385/2013, पर दिनांक 03.07.2013 को पारित आदेश, निरीक्षक दल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय के संबंधन समिति, विद्वत परिषद, अभिषद से नव संबंधन की अनुशंसा के उपरांत अधिषद की बैठक दिनांक 26.04.2014 के मद संख्या 11 (ग्यारह) पर पारित प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित महाबोधि कॉलेज (बी.एड.), नालन्दा में एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में सत्र 2013-14 से 100 (एक सौ) नामांकन सीटों के साथ NCTE की मान्यता जारी रहने तक संबंधन स्वीकृत किया जाता है, परन्तु समय-समय पर कॉलेज की गुणवत्ता की जांच एक उच्च स्तरीय जांच दल से कराया जाता रहेगा, जिसकी सूचना NCTE को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा।

अतः अनुरोध है कि अधिषद द्वारा पारित प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर इसकी सूचना देने की कृपा की जाय।

- अनुलग्नक:- 1. अधिषद की बैठक का कार्यवृत्त।  
2. निरीक्षण प्रतिवेदन की मूलप्रति।

विश्वासभाजन

कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

ज्ञापांक :- 5303/GHIA/B.Ed./G.M.A./558/14

दिनांक 20/9/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित:-

1. प्रधानाचार्य/सचिव, महाबोधि महाविद्यालय (बी.एड.), नालन्दा - 803111
2. परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
3. सहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।



# मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

1195

अधिषद की वार्षिक बैठक दिनांक 26/04/2014 का (संक्षिप्त) कार्यवृत्त

मद संख्या 11 अधिषदद्वारा पारितप्रस्तावित महाबोधि महाविद्यालय, नालन्दा में एनसीटीई से मान्यता/स्वीकृति प्राप्त एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र 2013-14 से 100 (एक सौ) नामांकन सीटों के साथ एनसीटीई की मान्यता जारी रहने तक नव संबंधन का प्रस्ताव इस शर्त के साथ पारित करें कि समय-समय पर कॉलेज की गुणवत्ताओं की जांच विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता रहेगा, जिसकी सूचना एनसीटीई को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा।

निर्णय :- ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित।

Banti  
A  
10/6/14  
श्री 437

Page 6 of 26  
A  
श्री 437 (कमरा 437)

A  
11.6  
श्री 437